संख्या 622/ II–2005–03(13)/05

प्रेषक,

बी0 आर0 टम्टा,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तरांचल।

लघु सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 29 जून, 2005

विषय : **वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आयोजनागत मदों में प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास के लिए धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2005–06 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से रू0 501.48 (रूपये पाँच करोड़ एक लाख अडतालीस हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है को लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश सं0 338/ II–2004/2005 दिनांक 31.03.2005 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के बिरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

क्रमशः.............2

6— जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

7— मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण— पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8— कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9— विभागीय कार्य करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक की अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 274/वि0 अनु0—2 /2005 दिनांक 25 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
संयुक्त सचिव

संख्या 622/II—2005—03(13)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
2— महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3— वित्त वित्त अनुभाग—2
4— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
5— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8— समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश सं0 622/ ।।–2005–03 (13)/03, दिनांक 29 जून, 2005 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद का नाम	नैनीताल	ऊधमसिंह नगर	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	चम्पावत	देहरादून	पौड़ी	टिहरी	चमोली	उत्तरकाशी	रूद्रप्रयाग	हरिद्वार	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2702–लघु सिंचाई 80–सामान्य 052–मशीनरीतथा उपस्कर 03–नवीन सम्पूर्ति 26–मशीने और सज्जा, उपकरण और संयत्र	0.06	0.60	0.14	0.10	0.10	0.12	0.10	0.24	0.18	0.24	0.20	0.14	0.36	2.58
2	800–अन्य मद 91–जिला योजना 01–लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्र स्प्रीकलरों का निर्माण 24–बृहद् निर्माण कार्य	11.40	–	9.30	8.92	8.90	8.54	11.90	13.90	5.40	12.96	9.96	2.28	–	103.46
	42–अन्य व्यय	7.74		6.36	6.08	6.06	5.82	8.10	9.46	3.70	8.90	6.80	1.56		70.58
3	91–जिला योजना 9103–गूल हौज पाईप लाईन का निर्माण 25–लघु निर्माण	14.08	8.50	15.44	14.54	22.16	7.72	18.80	36.66	15.00	22.70	74.56	32.70	24.00	306.86
4	91–जिला योजना 9105–जनपदों में गोदामों का निर्माण 24–बृहद् निर्माण कार्य		0.92		1.56	0.06	1.56								4.10
5	91–जिला योजना 9106–आर्टीजन कूपों का निर्माण 24–बृहद् निर्माण कार्य		8.00											5.90	13.90
	योग	33.28	18.02	31.24	31.20	37.28	23.76	38.90	60.26	24.28	44.80	91.52	36.68	30.26	501.48

(रूपये पॉच करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।